R. 5113- दो/15

(82)

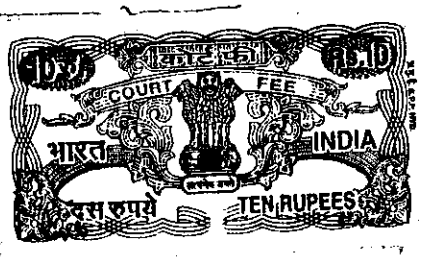

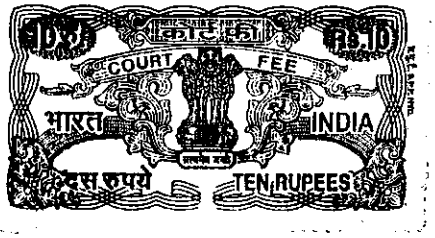

श्री प्रवीण मिश्रा एड.
द्वारा पेश/19.10.15

467
19.10.15

मोहम्मद इसहाक पिता मोहम्मद साकिर उम्र 42 साल निवासी मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन थाना ताला जिला सतना [म0प्र0] -------निगरानीकर्ता

बनाम

1. छोटा दास वैरागी तनय सुखदेव दास वैरागी उम्र 65 साल निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना [म0प्र0]

2. बबलू दास पिता जगदीश वैरागी उम्र 35 साल निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तह अमरपाटन जिला सतना [म0प्र0]

3. मुनीम दास तनय भोली दास वैरागी निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना [म0प्र0]

4. गुड्डा दास तनय भोली दास वैरागी निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना [म0प्र0] -------रेस्पान्डेन्ट

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 392/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 18-9-

- - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व सन् 1959 ई0 ।

- - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 85/अपील/2004-05 में पारि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5113–दो/2015 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-4-2017	आवेदक अभिभाषक श्री प्रवीण मिश्रा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 392/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18–9–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक की वसीयत को संदिग्ध माना है तथा कब्जे के आधार पर नामांतरण चाहा है परन्तु तहसीलदार द्वारा अनावेदकों के पक्ष में वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया है। विचारण न्यायालय के आदेश को अपर आयुक्त ने उचित माना है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि कब्जे के आधार पर नामांतरण करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर निष्कर्ष निकालें हैं जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होते हैं। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	